कार्यालय–सचिव उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ
5, सर्वपल्ली मॉल एवेन्यू रोड, लखनऊ–226001

Dig. No→ 9481/21 Date → 22/11/2021

निविदा की सूचना
पत्रांक–सचिव/वाहन हायर/टेन्डर/2021-22

सचिव उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ में कार्यालय के उपयोग हेतु भाड़े पर वाहन लेने हेतु निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं। भाड़े पर वाहन सेवा लेने से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें फार्म के साथ संलग्न टेक्नीकल बिड में दी गयी हैं।

क्रमांक	कार्य का नाम	विवरण
1	निविदा की अनुमानित लागत	रूपये–10,00,000/– से 12,00,000/– प्रति वर्ष।
2	सिक्योरिटी मनी	रूपये–1,00,000/– (एक लाख) F.D.R. (Refundable)
3	निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय	दिनांक–22.11.2021 से 06.12.2021 सायं 06:00 बजे तक।
4	तकनीकी एवं वित्तीय बिड खोलने की तिथि, समय व स्थान	दिनांक–08.12.2021 सायं 3:00 बजे स्थान–सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ।
5	वाहन की संख्या	02 (दो)
6	वाहन का प्रकार	एक इनोवा तथा इटियोस या उसके समकक्ष
7	निविदा शुल्क प्रपत्र–धनराशि	निविदा शुल्क प्रपत्र रूपये–5,000 (पाँच हजार रूपये मात्र) जो कि डी0डी0 के माध्यम से **"सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ"** के नाम से भुगतान करना होगा। (Non Refundable)

निविदा प्रपत्र कार्यालय की वेबसाईट http://upsmfac.org पर देखी जा सकती है। इच्छुक फर्मों से अनुरोध है कि नियमित रूप से उक्त वेबसाईट देखते रहे क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाईट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

Also in Lucknow local news paper

22/11/21

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ

22.11.21
(सुनीता मलिक)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

कार्यालय–सचिव उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ

निविदा हेतु तकनीकी प्रपत्र (Annexutre-A)

वित्तीय वर्ष–2021–22

सचिव उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ में कार्यालय के उपयोग हेतु भाड़े पर वाहन लेने के लिये निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं। भाड़े पर वाहन सेवा लेने से सम्बन्धित नियम एवं शर्ते निम्नवत् हैं।

तकनीकी बिड–

- आयकर पंजीयन/पैन कार्ड की प्रति। (स्वप्रमाणित प्रति)
- विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न की प्रति। (स्वप्रमाणित प्रति)
- जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति अन्तिम 03 माह का GSTR 3B का प्रमाण पत्र। (स्वप्रमाणित प्रति)
- निविदा–दाता द्वारा रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुरूप नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि फर्म किसी भी विभाग/किसी भी राज्य में किसी भी सरकारी विभाग/संस्था द्वारा काली सूची में शामिल अथवा डिबार नहीं है एवं फर्म के विरूद्ध कोई भी कोर्ट केस/विजिलेन्स केस/सी0बी0आई0 जाँच आदि लम्बित नहीं है।
- निविदा प्रपत्र के साथ दिये गये प्रारूपों पर स्वयं के पते का शपथ–पत्र तथा यह कि आप स्वयं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश में कार्यरत नहीं है और न ही आपका कोई सगा सम्बन्धी/नजदीकी रिश्तेदार/परिजन इस विभाग में कार्यरत है, का घोषणा पत्र देना होगा।
- इस कार्य हेतु वांछित अग्रिम सिक्योरिटी धनराशि रूपये–1,00,000/– (एक लाख रूपये) जो कि सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ के पक्ष में F.D.R. के रूप में होगा, जमा करना होगा।
- फर्म होने की दशा में पार्टनरशिप–डीड सर्टिफिकेट/पावर ऑफ अटार्नी अथवा स्वयं को एक मात्र प्रोपराइटर होने की दशा में इस आशय का शपथ पत्र रूपये–10/– के स्टाम्प पेपर पर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- निविदा–दाता का वार्षिक टर्न–ओवर पिछले पाँच वर्षो में किसी भी एक वर्ष में रूपये–12,00,000/– (बारह लाख) से कम नहीं होना चाहिए। (स्वप्रमाणित प्रति)
- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म को पिछले पॉच वर्ष से भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने का कार्य करती रही हो।
- भाड़े पर उपलब्ध कराने जाने वाले वाहन का टैक्सी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है तथा वाहन का बीमा एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

22.11.21

(सुनीता मलिक)
प्रशासनिक अधिकारी

22/11/21

- वहन का मॉडल वर्ष 2018 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।
- फर्म द्वारा विगत वर्षा के अपने **reputed Clients** का विवरण संलग्न करना होगा।

उपरोक्त वार्णित सभी दस्तावेज एवं सभी प्रपत्र निविदाताओं द्वारा तकनीकी अभिलेख प्रपत्र के साथ उपलब्ध कराये जायेंगे।

उपरोक्त वर्णित शपथ–पत्र को मूल रूप में निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

नियम एवं शर्ते–

1. निविदा स्वीकृत होने पर निविदा–दाता को रूपये–100/– के स्टाम्प पेपर पर विभाग के साथ अनुबन्ध करना होगा जिसका समस्त खर्च निविदादाता के द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
2. निविदा की नियम और शर्त निविदा का एक भाग माना जायेगा जिसे सम्बन्धित संस्थान द्वारा हस्ताक्षरित कर निविदा के प्रथम भाग के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।
3. निविदा–दाता का वार्षिक टर्नओवर पिछले पाँच वर्षों में किसी भी एक वर्ष में रूपये–12,00,000/– (बारह लाख) होना चाहिए। आडिट रिपोर्ट/बैंलेस शीट की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
4. निविदा–दाता फर्म को अपने बैंक खाते का पूरा विवरण निविदा प्रपत्रों के साथ उपलब्ध कराना होगा।
5. निविदा के समस्त कर का भुगतान फर्म द्वारा स्वयं करना होगा। विभाग द्वारा किसी भी कर आदि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
6. यदि निविदाताओं में से किसी दो निविदादाता की दरें समान आती हैं, तो ऐसी स्थिति में निविदा समिति का निर्णय अंतिम होगा और निविदादाता मानने के लिये बाध्य होंगे।
7. निविदादाता द्वारा वित्तीय बिड में उपलब्ध करायी गयीं दरें यदि बाजार मूल्य से आश्चर्यजनक रूप से कम पायी जाती है या आश्चर्यजनक रूप से अधिक पायी जाती है तो इस प्रकार की दरों को अमान्य घोषित करते हुये उसके निकट प्रतिद्वन्दी निविदादाता की दरें स्वीकार कर ली जायेंगी।
8. सशर्त निविदायें कदापि स्वीकार्य नहीं की जायेगी।
9. निविदा समिति न्यूनतम दरें स्वीकृत करने के लिये बाध्य नहीं है तथा किसी/समस्त निविदा को बगैर कारण बताये किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति के पास सुरक्षित है।
10. केवल तकनीकी प्रपत्र पूर्ण करने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
11. निविदा स्वीकृति के पूर्व/उपरान्त यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि असत्य प्रपत्र लगाकर निविदा प्राप्त की गयी है तो निविदा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर जमानत राशि को सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा तथा कृत कार्य हेतु किसी भी दायित्व का भुगतान नहीं किया जायेगा।

22-11-21 (सुनीता मलिक) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 22/11/21

12. इस निविदा प्रक्रिया हेतु न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।

13. निविदा अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष तक अथवा अगली निविदा होने तक मान्य होगी।

14. निविदा से सम्बन्धित समस्त प्रपत्र कार्यालय में जमा किये जायेंगे। इसलिये निविदादाताओं से आग्रह है कि निविदा को ध्यानपूर्वक पढ़ ले तथा समस्त आवश्यक प्रपत्र/अभिलेख को समय से जमा कर दें।

15. जमा करने से पूर्व चेक लिस्ट से मिलान कर पृष्ठ संख्या अवश्य अंकित करें।

16. निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

उपरोक्त सभी शर्तें मेरे/हमारे द्वारा भली–भांति पढ़ ली गयी है तथा दी गयी शर्तें निविदा फार्म के साथ संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा फर्म का नाम................................
पता व मो0 नं0–......................................
सील/मुहर

22.11.21

(सुनीता मलिक)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

(Annexutre-B)

वित्तीय प्रपत्र

Sr. No.	Description of Services	Quantity	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)	Remarks
1	Consolidated Monthly Charges for providing **AC** '4 Door Non Sedan type" Car as Taxi (Preferably Etios, Swift Desire) for 12 Hrs per day for 2000 kms per month.	One Vehicle	**Per Month**		The **fixed Minimum Charges** will be paid every month by UPSMF.
2	Charges for Duty on account of **Extra Kilometers (beyond 2000 KMs)** in a month for the car as mentioned in SL.1 (Within Lucknow of Surrounding Area)	500 Kms	per Km		Indicative Prices for calculation of **Extra Kilometers**
3	Charges for **Extra Duty** Hours (beyond 12 Hours) in a month for the car as mentioned SL.1 (Within Lucknow of Surrounding Area)	3 Hrs	Per Hour		Indicative Prices for calculation of **Extra Duty Hours**
4	Charges towards Night Duty (afer 22:00 Hrs & Before 06:00 Hrs.) in a month.	04 Night	Per Night		These charges will be applicable for all Night duty performed (Within Lucknow or Outstation area
5	Charges for providing **AC** Sedan type" **Car as Taxi** (Preferably Toyta-Innova/ Crysta) on for 12 Hrs per day for 2000 kms per month..	One Vehicle	**Per Month**		The **fixed Minimum Charges** will be paid every month by UPSMF.
6	Charges for Duty on account of **Extra Kilometers (beyond 2000 KMs)** in a month for the car as mentioned in SL.1 (Within Lucknow of Surrounding Area)	500 Kms	per Km		Indicative Prices for calculation of **Extra Kilometers**

22.11.21 (सुनीता मलिक) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

7	Charges for **Extra Duty** Hours (beyond 12 Hours) in a month for the car as mentioned SL.1 (Within Lucknow of Surrounding Area)	3 Hrs	Per Hour		Indicative Prices for calculation of **Extra Duty Hours**
8	Charges towards Night Duty (afer 22:00 Hrs & Before 06:00 Hrs.) in a month.	04 Night	Per Night		These charges will be applicable for all Night duty performed (Within Lucknow of Outstation area

- निविदाताओं द्वारा उपरोक्त फार्मेट पर ही अपनी दरें अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
- अन्य कोई भी टैक्स जो सरकार द्वारा लागू है, अलग से प्रस्तुत करना होगा।

22.11.21

(सुनीता मलिक)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

(Annexutre-C)

अन्य नियम एवं शर्तें–

- उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों का आन्तरिक साज–सज्जा अच्छा होनी चाहिए। सीट कवर नये अथवा साफ धुले रहने चाहिए। ए0सी0 वाहनों का ए0सी0 सदैव ठीक हालत में रहना चाहिए। वाहनों का पंजीकरण मॉडल 2018 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
- निविदाकर्ता फर्म को मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत लागू सभी प्रकार के सुरक्षा एवं वैधानिक नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- वाहन अथवा वाहन चालक के सम्बन्ध में मोटर वाहन के अधिनियमों का अथवा सिविल नियमों का पालन करना होगा।
- किसी भी कानूनी प्रक्रिया/नियमों का अनुपालन निविदाकर्ता फर्म अथवा वाहन चालक द्वारा न करने के कारण यदि उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी पर कोई धनराशि का दायित्व निर्धारित किया जाता है तो उक्त धनराशि की वसूली फर्म के बिल से अथवा प्रतिभूति धनराशि से समायोजित करने का अधिकार उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी को होगा।
- फर्म द्वारा फर्म के मालिक/प्रतिनिधि का दूरभाष संख्या तथा मोबाइल नं0 एवं सम्बद्ध किये गये वाहन के चालक का फोटो, पूरा आवासीय पता, मोबाइल नं0 आदि उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी को उपलब्ध कराना होगा।
- सभी टैक्सी वाहनों के चालकों के पास आर0टी0ओ0 द्वारा जारी वैद्य वाणिज्यिक लाइसेंस होना आवश्यक है। अनुबन्ध होने के पश्चात तथा वाहन उपलब्ध कराने से पूर्व वाहन प्रबन्धक को प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक है।
- अनुबन्ध के अन्तर्गत मासिक दरों पर उपलब्ध कराये गये वाहन तथा वाहन चालक अपरिहार्य कारणों (जैसे दुर्घटना, आकस्मिक ब्रेक डॉउन अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से) को छोड़कर बदले नही जायेंगे। जिस अधिकारी/विशेषज्ञ/सलाहकार को जो वाहन एवं ड्राईवर उपलब्ध कराया जायेगा वह अपरिहार्य कारणों में पूर्व सूचना के बाद ही बदला जायेगा। वाहन चालक को सम्बद्ध अधिकारी/कार्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ अच्छा आचरण किया जाना अनिवार्य है।
- निविदाकर्ता फर्म अपने कर्मियों एवं वाहन चालकों की सुरक्षा एवं असुरक्षित कृत्यों के लिये उत्तरदायी होगा। अनुबन्ध के अन्तर्गत ड्यूटी पर वाहन के दुर्घटना होने पर वाहन की क्षति अथवा वाहन चालक को किसी प्रकार की क्षति, दुर्घटनावश मृत्यु या स्थायी विकलांगता इत्यादि के होने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व निविदाकर्ता फर्म का होगा। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी का उत्तरदायित्व नहीं होगा।

22-11-21 (सुनीता मलिक) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

- वाहनों को समय से उपलब्ध कराया जाना, फर्म का उत्तरदायित्व होगा। सामान्यतः वाहन सुबह 9:00 बजे से उपलब्ध कराना होगा परन्तु विभाग को अधिकार होगा कि विभाग के आवश्यकतानुसार मासिक वाहन विभागीय कार्य हेतु 24 घंट (24X7) के लिये वाहन की मांग कर सकता है। वाहन व्यवस्था पूरे माह के दिवस के लिये है। मरम्मत एवं सर्विस हेतु माह में एक दिन के लिये वाहन आपसी सहमति से छोड़ा जायेगा, जिसके एवज में वाहन उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। आवश्यकता होने पर मासिक टैक्सी वाहन लखनऊ से बाहर भी भेजा जा सकता है।
- निविदाकर्ता फर्म द्वारा टैक्सी वाहन के स्थान पर प्राईवेट वाहन उपलब्ध कराने पर उक्त प्राईवेट वाहन का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- वाहन चालक पर होने वाला व्यय, वेतन आदि एवं वाहन की मरम्मत का कार्य सम्बन्धी व्यय/वाहन पर होने वाला किसी भी प्रकार व्यय का दायित्व फर्म/वाहन मालिक का होगा।
- लॉग बुक पर होने वाला व्यय फर्म को स्वयं वहन करना होगा तथा प्रत्येक दिन लॉग बुक पूरा कराकर सम्बन्धित अधिकारी हस्ताक्षर/सत्यापन करना होगा।
- गैराज से वाहन आने के लिये वास्तविक कि0मी0 या अधिकतम 10 कि0मी0 सीमा तक तथा तदनुसार वापसी वास्तविक कि0मी0 या अधिकतम 10 कि0मी0 सीमा तक अनुमन्य होगी।
- पार्किंग/टोल टैक्स पर हुये व्ययों की प्रतिपूर्ति कार्यालय वहन करेगा तथा इसका भुगतान एक साथ किया जायेगा।
- फर्म द्वारा अगले माह की 10 तारीख तक मासिक टैक्सी वाहनों की भरी हुयी लॉगबुक की हस्ताक्षरित फोटोकापी, लॉगबुक मूल रूप में एवं पी0ओ0एल0 की वर्तमान दरों से सम्बन्धित साक्ष्य सहित बिल उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी को भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। वाहन प्रबन्धक द्वारा उक्त बिलों के परीक्षण/सत्यापन तथा संस्तुति के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन उपलब्ध न कराने पर उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी को यह अधिकार होगा कि अन्य एजेन्सी से बाजार दर पर वाहन प्राप्त कर सकता है, जिस पर हुये व्यय की कटौती द्वितीय पक्ष के देयकों से की जायेगी।
- बिल की धनराशि में से नियमानुसार आयकर की कटौती करने के उपरान्त अवशेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जायेगा।

22.11.21
(सुनीता मलिक)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

22/11/21

तकनीकी भाव–पत्र के संलग्न प्रमाण–पत्रों का क्रम व चैक लिस्ट

	तकनीकी भाव–पत्र चेक लिस्ट	
सचिव उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ में कार्यालय के उपयोग हेतु भाड़े पर वाहन लेने हेतु निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं।		
	विवरण	पेज संख्या अंकित करें
1	पैन कार्ड की प्रति संलग्न है या नहीं?	
2	विगत पाँच वर्षों का आयकर रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न है या नहीं?	
3	जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण–पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति अंतिम 03 माह का जी0एस0टी0आर0 3बी का प्रमाण पत्र संलग्न है या नहीं?	
4	निविदादाता द्वारा रूपये–10/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथपत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि फर्म किसी भी विभाग/किसी भी राज्य में किसी भी सरकारी विभाग/संस्था द्वारा काली सूची में शामिल अथवा डिबार नहीं हैं, एवं फर्म के विरूद्ध कोई भी कोर्ट केस/विजिलेंस केस/सी0बी0आई0 जॉच आदि लम्बित नहीं है का शपथ पत्र संलग्न है या नहीं?	
5	कार्य हेतु वांछित अग्रिम धनराशि रूपये–1,00,000/– (एक लाख मात्र) जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में **"सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ"** के नाम से होगा। संलग्न है या नहीं।	
6	निविदा शुल्क प्रपत्र–धनराशि निविदा शुल्क प्रपत्र रूपये–5,000 (पाँच हजार रूपये मात्र) जो कि डी0डी0 के माध्यम से **"सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ"** के नाम से होगा। संलग्न है या नहीं।	
7	निविदा प्रपत्र में उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर संलग्न करना है, संलग्न है अथवा नहीं? क– रिलेशन प्रमाण–पत्र। ख– स्वयं के पते का प्रमाण–पत्र। ग– प्रपत्र वास्तविक होने का प्रमाण–पत्र। घ– निविदाकर्ता का सत्यापित फोटो। ड़– बैंक का डिटेल। उपरोक्त सभी दस्तावेज संलग्न हैं अथवा नहीं।	
8	फर्म होने की दशा में पार्टनरशिप डीड सर्टिफिकेट/पावर ऑफ अटार्नी अथवा स्वयं के एक मात्र प्रोपराइटर होने की दशा में इस आशय का शपथपत्र रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर संलग्न करना अनिवार्य होगा। संलग्न है या नहीं?	
9	निविदा प्रपत्र निविदा का एक भाग होगा जिसे हस्ताक्षरित कर तकनीकी बिड के साथ संलग्न किया जायेगा। संलग्न है या नहीं?	
10	फर्म का टर्नओवर पिछले पाँच वर्षों में किसी भी एक वर्ष में 12 लाख से कम का नहीं होना चाहिए। प्रमाण पत्र संलग्न है या नहीं।	

22.11.21
(सुनीता मलिक)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि निविदा प्रपत्र में दी गयी सभी शर्तें मेरे द्वारा पढ़कर भलीभांति समझ ली गयी है, और मुझे पूरी तरह मान्य है। उपयुक्त वांछित विवरण में मेरे द्वारा कोई तथ्य गोपन कर निविदा प्रस्तुत नहीं की जा रही है, यदि किसी स्थिति/चरण पर कोई सूचना असत्य पायी जाये तो मेरे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर जो भी कार्यवाही की जायेगी मुझे मान्य होगी। मैं निविदा शर्तें एवं विशिष्टताओं के अनुसार कार्य को पूरा करने का वचन देता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर
निविदादाता का नाम................................
पूरा पता.................................

मुहर

22.11.21
(सुनीता मलिक)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

22/11/21

रिलेशन सर्टिफिकेट

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे कोई भी सगा सम्बन्धी चिकित्सा, शिक्षा विभाग, उ0प्र0 में कार्यरत नहीं है।

दिनांक......................

निविदादाता के हस्ताक्षर
निविदादाता का नाम........................
पता.................................

स्वयं के पते का प्रमाण

संविदा अवधि में मेरा पता निम्नानुसार रहेगा तथा इस पते पर भेजे गये समस्त पत्र चाहे मुझे प्राप्त हुये हो चाहे न प्राप्त हुये हो, मेरे लिये बाध्यकारी होंगे।

पता–

निविदादाता के हस्ताक्षर
निविदादाता का नाम................................
पता........................

प्रपत्रों के वास्तविक होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अर्नेस्ट मनी छोड़कर मेरे द्वारा कुल ....पन्नो के अर्हताओं के प्रपत्र लगाये गये हैं, जो कि वास्तविक हैं

कोई भी प्रपत्र किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर निविदा शर्तों के अनुसार की गयी कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर
निविदादाता का नाम......................
पता........................

22.11.21
(सुनीता मलिक)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

22/11/21

निविदादाता का सत्यापित फोटो, फोटो हेतु फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... निवासी ....
....(पता अंकित करें)
को मैं भली भांति जानता हूँ, तद्नुसार इनके हस्ताक्षर व फोटो नीचे अंकित विवरण के अनुसार सत्यापित किये जाते हैं।

फोटो

....
निविदादाता के हस्ताक्षर
हेतु स्थान

श्री .... के सत्यापित हस्ताक्षर

अधिकारी के हस्ताक्षरः–...

नामः–..

पद की मुहरः–................................

नोटः– फोटो को चस्पा किये स्थान पर अलग से सत्यापित करना है।

22.11.21
(सुनीता मलिक)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

बैंक खाते का विवरण

बैंक का नाम–..

बैंक शाखा–..

खाताधारक / फर्म का नाम............................

खाता संख्या..

IFSC कोड..

खाताधारक / फर्म की मुहर एवं
हस्ताक्षर

22-11-21
(सुनीता मलिक)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी